तारीख	न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, झुंझुनू (कैम्प कोर्ट मुकाम ग्राम पंचायत नयासर) मुकदमा न. 03/2011 उनवान मकबुल बनाम तहसीलदार झुंझुनू वगैरह प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956	राजस्व लोक अदालत "न्याय आपके द्वार" अभियान–2018
08.05.2018	पत्रावली राजस्व लोक अदालत कैम्प मुकाम ग्राम पंचायत नयासर में पेश हुई। पत्रावली निर्णय में ली जाकर अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र के तथ्य इस प्रकार से है कि वर्णित जमीन सरहद राजस्व ग्राम भूरासर तहत तहसील झुंझुनू में स्थित है। जिसके हाल खसरा न. 506/540 रकबा 0.40 हैक्टर, खसरा न. 507 रकबा 0.45 हैक्टर, खसरा न. 512 रकबा 1.81 हैक्टर कुल किता 3 कुल रकबा 2.66 हैक्टर उक्त जमीन आवेदक एवं अनावेदक न. 2 लगायत की संयुक्त खातेदारी की जमीन है। उक्त जमीन मे से आवेदक 1/3 हक हिस्से का टिनेन्ट है। यह कि जमीन हाल खसरा न. 512 रकबा 1.81 हैक्टर गत खसरा न. 486 के भाग गत खसरा न. 486/1/2 मीन रकबा 7 बीघा 3 विश्वा से बना है। गत नक्शा सीट के मुताबिक गत खसरा न. 486 के खेत मे से कोई, डोटेड लाईन से सीजनल रास्ते का कोई अंकन नही है तथा ना ही मौके पर कोई रास्ता मौजुद नही है। लेकिन भू–प्रबन्धक के दौरान भू–प्रबन्धक कर्मचारियों एवं अधिकारियों ने गत खसरा न. 486 के भाग गत खसरा न. 486/1/2 मीन से बने हाल खसरा न. 512 मे से हाल नक्शा शीट में डोटेड लाईन से अस्थाई रास्ते का अंकन गलत रूप से कर दिया जबकि हाल खसरा न. 512 मे से कोई स्थाई या सीजनल रास्ता उत्तर से दक्षिण मौजूद नही है। भू–प्रबन्धक कर्मचारियों को गत रिकार्ड को पुनरावर्ति करनी होती है भू–प्रबन्ध कर्मचारी राजस्व रिकार्ड मे कोई इन्टरी करने का कोई उनको क्षेत्राधिकार नही है। अतः प्रार्थना–पत्र मय शपथ–पत्र पेशकर निवेदन है कि हाल खसरा न. 512 रकबा 1.81 हैक्टर सरहद ग्राम भूरासर को हाल नक्शासीट में दर्शित डोटेड लाईन से सीजनल रास्ते का अंकन दुरूस्त किया जाकर हाल नक्शासीट दुरूस्त की जावें। प्रार्थना–पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर तहसीलदार झुंझुनू को वास्ते जवाबदेही तलब किया गया। तहसीलदार झुंझुनू ने अपना जवाब दिनांक 13.06.2017 को पेशकर निवेदन है कि वर्तमान खसरा न. 512 रकबा 1.81 हैक्टर गत खसरा न. 486 रकबा 7 बीघा 3 विश्वा से बना है। गत खसरा न. 486 मे कोई भी डोटेड लाईन नहीं थी। नये खसरा न. 512 में एक डोटेड रास्ता नक्शे में दर्ज है। वर्तमान खसरा न. 512 में ऊटगाड़ी का रास्ता आवगमन हेतु काम में आ रहा है। जिसमे टेक्ट्रर भी आते जाते है। रास्ता मौके पर चालु होने के कारण डोटेड लाईन हजफ किया जाना उचित नहीं है। प्रार्थना–पत्र प्रार्थी व जवाब तहसीलदार झुंझुनू का अवलोकन किया गया। जिससे प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र पोषणीय	

7

नही होने पर स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत नही होता है। क्योंकि वर्तमान में दर्शित रास्ता का आवागमन जनहित मे चालू है। चालू रास्ते को वन्द किया जाना न्यायोचित नही है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 136, राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो एवं वाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। आदेश सुनाया गया।

(अलका बिश्नोई)
उपखण्ड अधिकारी झुंझुनू